इस प्रकार स्पष्ट है कि विषयगत मकान पर अपीलकर्त्ता किरायेदार है जिसे सिविल जज सं0 III दुमका द्वारा टाईटल (उच्छेदी) वाद अपील सं0 02/1999 में पारित आदेश द्वारा उच्छेदित किया गया है। तत्पश्चात प्रधान जिला सत्र न्यायाधीश, दुमका के टाईटल (उच्छेदी) वाद अपील सं0 05/2009 में पारित आदेश द्वारा सिविल जज सं0 III दुमका के टाईटल (उच्छेदी) वाद सं0 02/1999 में पारित आदेश को बरकरार रखा गया है। इसी आधार पर विषयगत मकान की मरम्मति हेतु अपीलकर्त्ता द्वारा दिया गया आवेदन को निम्न न्यायालय द्वारा निरस्त किया गया है, जो सही प्रतीत होता है। अतः निम्न न्यायालय के आदेश को बरकरार रखते हुए अपील आवेदन को अस्वीकृत किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित ।

उपायुक्त
दुमका।

उपायुक्त
दुमका।

उपायुक्त का न्यायालय, दुमका

एच.आर.सी.ए. वाद सं0– 01/2016–17

अशोक रजक ..... अपीलकर्त्ता

बनाम

द्वारिका प्रसाद साह एवं अन्य ..... उत्तरकारी

।। आदेश ।।

28/02/2017

यह एच.आर.सी.ए. वाद सं0– 01/2016–17 अशोक रजक, पे0 स्व0 लूटन रजक बनाम् द्वारिका प्रसाद साह एवं अन्य, प्रताप साह लेन (सन साईन गली), मेन रोड, दुमका बजार के बीच अनुमंडल पदाधिकारी, दुमका के एच0आर0सी0 वाद सं0 7/15 में पारित आदेश दिनांक 27.10.2016 के विरूद्ध दायर किया गया है।

मैंने उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा अभिलेख में उपलब्ध कागजातों का अवलोकन किया।

अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अपीलकर्त्ता के पिता लूटन रजक दुमका नगरपालिका के अन्तर्गत प्रताप साह लेन (सन साईन गली) वार्ड नं0 14 (पुराना वार्ड नं0 10) होल्डिग सं0 63 मुख्य बाजार दुमका में अवस्थित मकान के नीचले तल्ले में कमरा (12'x7'-10'') एवं अन्य कमरा, बरामदा, रसोईघर एवं शौचालय है जो वर्ष 1957 से किरायेदार है जिसमें एवं धोबी घर संचालित है। अपीलकर्त्ता के पिता के मृत्यु के पश्चात अपीलकर्त्ता द्वारा उक्त धोबी घर को संचालित किया जा रहा है जिसका नाम सन साईन लॉण्ड्री है। उक्त धोबी घर के मुख्य दरवाजे के नीचे का फ्रेम बरसात के पानी से क्षतिग्रस्त हो गया है जिसे बदलने/मरम्मति करने की आवश्यकता है। अपीलकर्त्ता द्वारा उक्त क्षतिग्रस्त हिस्से को बदलने/मरम्मति करना चाहते है किन्तु उत्तरकारी सं0 01 द्वारा ऐसे करने से रोका जा रहा है। इस पर अपीलकर्त्ता द्वारा क्षतिग्रस्त दरवाजे के नीचे का फ्रेम की मरम्मति करने का आदेश निर्गत हेतु निम्न न्यायालय में आवेदन दाखिल किया गया किन्तु न्यायालय द्वारा उनके आवेदन को यह कहकर निरस्त करते हुए वाद की कार्रवाई समाप्त किया गया कि अपीलकर्त्ता को वरीय सिविल जज सं0 III दुमका के टाईटल (उच्छेदी) वाद अपील सं0 02/1999 एवं इस आदेश के विरूद्ध में दायर प्रधान जिला न्यायाधीश, दुमका के टाईटल (उच्छेदी) वाद सं0 05/2009 में पारित आदेश द्वारा उच्छेद किया गया है।

उत्तरकारी सं0 02 की ओर से इस वाद में आवेदन दाखिल कर कहा गया है कि प्रश्नगत मकान की मरम्मति हेतु उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। अतः मकान की मरम्मति हेतु आदेश निर्गत किया जा सकता है।